



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)




F.No. 4/5/2017-Admn./2769-83

Date: 26th April, 2022

OFFICE ORDER No. 154 /2022

सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अनुमोदन से, श्री एन. जी. राव, अधीक्षण अभियंता अन्वेषण वृत्त, राजविअ, वलसाड को स्वयं के खर्चे पर अन्वेषण वृत्त, राजविअ, वलसाड से अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद स्थानांतरित किया जाता है। जोकि दिनांक 1.05.2022 या इसके बाद से प्रभावी होगा।


26/4/22
(राजेश कुमार)

उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रति,

1. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण), राजविअ, लखनऊ/हैदराबाद।
2. निदेशक (तकनीकी/एमडीयू/वित्त), राजविअ, नई दिल्ली।
3. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, हैदराबाद।
4. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, वलसाड।
5. अधिशाषी अभियंता, अन्वेषण खंड, राजविअ, हैदराबाद।
6. अधिशाषी अभियंता, अन्वेषण खंड, राजविअ, वलसाड।
7. लेखा अधिकारी, राजविअ, नई दिल्ली।
8. श्री एन. जी. राव, अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, वलसाड।
9. सतर्कता अनुभाग, राजविअ, साकेत, नई दिल्ली।
10. वेब मास्टर, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, साकेत, राजविअ, नई दिल्ली।

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक के निजी सचिव, राजविअ, नई दिल्ली
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव, राजविअ, नई दिल्ली।

